

विशेष संवाहक द्वारा/स्पीड पोस्ट से

सं.14/5/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2015

कार्यालय जापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को आयोजित होने के लिए निर्धारित 5वीं बैठक (2015 श्रृंखला) के संबंध में अनुपूरक कार्यसूची प्रेषित करना।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 5वीं बैठक के लिए कार्यसूची भेजते समय दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 के इस मंत्रालय के समसंख्यक कार्यालय जापन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. सीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स जीई इंडिया टेक्नॉलोजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड नरामक ईओयू के मामले का एक अतिरिक्त एजेंडा पर इस बैठक में चर्चा करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-

(जी. श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23062496

ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/ जेपीएम के निजी सचिव, निदेशक (एमवी) के निजी सचिव; उपसचिव (टीवीआर) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 30.12.2015 को अपराह्न 3.00 बजे होने वाली 5वीं बैठक (2015 श्रृंखला) के लिए अनुपूरक कार्यसूची।

5.10 (15) सीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स जीई इंडिया टेक्नालोजी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड – शुल्क छूट प्राप्त करके एलईडी लाइटिंग सिस्टम का अधिप्रापण करने के लिए अनुमति।

इस इकाई के साथ अनुसंधान एवं विकास सेवाओं/अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान एवं विकास सेवाओं, ई-वाणिज्य के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकास, सॉफ्टवेयर क्रियाकलाप, सॉफ्टवेयर विकास, इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित अंतर-संकाय के लिए प्रोटोटाइप का विकास, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सेवा कार्मिकों का प्लेसमेंट एवं आपूर्ति, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित विधिक सेवाओं और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित परामर्शी प्रबंध सेवाओं का निर्यात करने के लिए दिनांक 02.08.1999 को एलओपी दिया गया था जिसे 03.03.2015 तक के लिए बढ़ाया गया।

इस यूनिट ने अधिक कार्यकुशल उर्जा सल्युशंस के उद्देश्य से अपनी सुविधाओं को अद्यतन पारिस्थितिकी अनुरूप एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के अनुरूप अद्यतन करने और कारबन फुटप्रिंट्स को कम करने के निरंतर प्रयास के भाग के रूप में सीएफएल लाइटिंग प्रणाली को एलईडी लाइटिंग प्रणाली से पुनर्स्थापित करके अपनी लाइटिंग प्रणाली का उन्नयन करने के लिए प्रस्ताव किया है। इस यूनिट में एलईडी लाइटिंग प्रणाली का अधिप्रापण करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है।

एलईडी लाइट्स प्रयोग करने के लाभ निम्नलिखित हैं :

- क) 52 प्रतिशत उर्जा की कम खपत
- ख) 50,000 घंटों तक जलने का जीवन चक्र
- ग) पर्यावरण अनुकूल
- घ) कम वॉटेज के साथ ज्योति (लक्स) का स्तर अधिक है
- ङ) यह आरओएचएस काम्प्लाइंट है
- च) कम ताप उत्सर्जित करती है।

इस प्रस्ताव का विवरण और मूल्य तथा शुल्क लाभ अधोलिखित हैं :-

क्र.सं.	विवरण	मॉडल	पीओ संख्या	एसएस मूल्य	छूट दी गई शुल्क
1	सीईडीआरयूएस 150 डब्ल्यू	जीआईपी 150.56 एमओ, पी 007	100012898	1,703,100.00	212,887.50
2	एएलएनयूएस एनईओ 30 डब्ल्यू	जीआईपी डब्ल्यू 030	100012898	398,940.00	49,867.50
3	एफईआरएन आरजी2 18 डब्ल्यू	जीडीआर 018.5 6एल2.एफए	100012898	954,000.00	119,259.00
4	सीईडीआरयूएस 85 डब्ल्यू	जीआईपी086.56 एमओ	100012898	295,560.00	36,945.00
5	पीएएलएम	जीएसपी 043.5	100012898	583,800.00	72,975.00

	एमआईडी 43 डब्ल्यू	6पी 1			
6	एमएपीएलई जी1 आर 43 डब्ल्यू	जीसीआर 043.5 6 एम 1	100012753	2,862,880.00	357,860.00
7	एमएपीएलई जी1 आर 36 डब्ल्यू	जीसीआर 036.5 6 एम 1	100012753	5,406,625.00	675,828.13
8	एमएपीएलई जी1 आर 43 डब्ल्यू	जीसीआर 043.5 6 एम 1	100012994	2,655,268.00	331,908.50
9	एमएपीएलई जी1 आर 36 डब्ल्यू	जीसीआर 036.5 6 एम 1	100012994	2,342,910.00	292,863.75
कुल				17,203,083.00	2,150,385.38

एफटीपी के संगत प्रावधान : प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 6.5.12(च) के अनुसार उनकी केवल ईओयू द्वारा डीटीए के आयात करने/अधिप्रापण करने की अनुमति अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन के उपरांत है। इस यूनिट द्वारा आयातित/स्वदेशी मर्चों के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो पैरा 6.5.1 के अंतर्गत दी गई सूची में कवर नहीं होता है।

विकास आयुक्त की सिफारिश : विकास आयुक्त ने निम्नलिखित पूर्वादाहरण प्रस्तुत किए हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 14.09.2012 को आयोजित बैठक में (मद संख्या 4.10(12) के अंतर्गत मैसर्स एसबी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को लाइट फिटिंग का शुल्क मुक्त आयात करने और दिनांक 22.07.2011 को आयोजित अपनी चौथी बैठक (मद संख्या 4.13(11) में मैसर्स एप्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को केबल्स/इलेक्ट्रिकल मर्चों का अधिप्रापण करने की अनुमति प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 19.05.2015 को आयोजित बैठक (2015 श्रृंखला की दूसरी बैठक) में मैसर्स शेल इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड 2.3(15) प्वाइंटर संख्या को लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइट सिस्टम एवं लाइटिंग फिक्शर्स के लिए अनुमति प्रदान की।